तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
03.03.2021 उपखण्ड अधिकारी तालेडा ... बून्दी(राज0)	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित है। वकील वादी ने अन्तर्गत प्रा0पत्र आदेश–7, नियम–11 व धारा 151 सीपीसी का जवाब पेश नही कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6, नियम–17 व धारा–151 सीपीसी पेश किया। दोनों प्रार्थना पत्रो पर वकुलाए बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6 नियम–17 व धारा–151 सीपीसी में वर्णित तथ्यो को दौहराते हुये, कथन किया कि वाद के उनवान में प्रतिवादी सं01 मीनाक्षी पत्नी शिवराज के स्थान पर सहवन से कम्प्यूटर टकंण की गलती से शिवराज आ0 देवराज लिख गया है, जो कम्प्यूटर टंकण की त्रुटि से अंकित हुआ है। जानबूझकर प्रतिवादी सं0 1 शिवराज आ0 देवराज नही लिखवाया गया है। अभी वाद का विचारण प्रारम्भ नही हुआ है वाद प्रारम्भिक स्टैज पर ही है। इसलिए प्रतिवादी सं0 1 शिवराज आ0 देवराज के स्थान पर मीनाक्षी पत्नी शिवराज वर्णित कर संशोधित करने हेतु निवेदन किया है एवं अप्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रा0पत्र अन्तर्गत आदेश–7 नियम–11 व धारा–151 सीपीसी खारिज किया जावे। अप्रार्थीया अधिवक्ता ने बहस के दौरान प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश–7, नियम–11 व धारा–151 सीपीसी में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि आराजी खसरा नं0 1475/507 रकबा 1.2950 है0 वाके ग्राम डाबी की भूमि के संबधं में वादीनी ने धारा–188 आरटीएक्ट के तहत वाद प्रस्तुत कर अन्तरिम अस्थायी निषेधाज्ञा एक तरफा आदेश दिनांक 11.02.2021 को शिवराज पिता देवराज जाति बैरवा निवासी कोटा के विरूद्व प्राप्त किया है। शिवराज पिता देवराज जाति बैरवा निवासी कोटा प्रतिवादी सं0 1 मीनाक्षी का पति है। प्रति सं0 1 शिवराज पिता देवराज जाति बैरवा की दिनांक 02.02.2018 को मृत्यु हो चुकी है जिसका मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किया है। वादीनी द्वारा वाद/प्रा0पत्र के चरण क्रम 4 में यह उल्लेखित किया है कि प्रति0सं01 अर्थात उक्त शिवराज ने वादीनी छोटी बाई को धमकी लगायी एवं ताकत के बल पर खनन कार्य करेगे, मौके से बेदखल करेगे यह धमकी के अभिवचन वादीनी ने वाद/प्रा0पत्र के चरण क्रम 3 में अंकित किया है एवं वाद/प्रा0पत्र के चरण क्रम 6 में दिनांक 10.02.2021 को प्रति0सं01 अर्थात शिवराज के द्वारा धमकी लगाने से वाद कारण उत्पन्न होना अंकित किया है, जबकि जिस व्यक्ति शिवराज प्रति0 सं0 1 के द्वारा धमकी देना वादीनी ने अपने अभिवचन में उल्लेखित किया है उसका दिनांक 02.02.2018 को ही मृत्यु हो चकी है। मृतक व्यक्ति धमकी नही दे सकता, इस कारण कोई वाद कारण उत्पन्न नही होता है एवं मृतक व्यक्ति के विरूद्व अस्थायी निषेधाज्ञा आदेश प्रभावी नही होता, उक्त व्यक्ति के खिलाफ जारी किया गया उक्त आदेश शून्य प्रभावी है। इसलिए वाद चलने योग्य नही होने से निरस्त होने योग्य है। वादीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 व धारा 151 सीपीसी खारिज किया जाकर अप्रार्थीया का प्रा0पत्र आदेश 7 नियम 11 व 151 सीपीसी स्वीकार किया जावे। हमने उभयपक्षों की दोनों प्रार्थना पत्रों पर बहस सुनने के पश्चात पत्रावली का आधोपांत अवलोकन किया गया। वादीनी द्वारा मृतक व्यक्ति प्रतिवादी सं0 1 शिवराज आ0 देवराज के खिलाफ दिनांक 11.02.2021 को वाद प्रस्तुत किया गया है, जबकि प्रतिवादी सं0 1 की दिनांक 02.02.2018 को ही मृत्यु हो चुकी है जिससे प्रथम दृष्टिया प्रतीत होता है कि वादीनी द्वारा बिना किसी जानकारी के ही तथ्यविहिन वाद प्रस्तुत किया गया साथ ही मृतक व्यक्ति के विरूद्व वाद प्रस्तुत होने से स्वतः ही वाद अबैट होने	

योग्य है। अतः वादीनी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 6 नियम 17 व धारा 151 सीपीसी संशोधन योग्य नहीं होने से प्रा0पत्र खारिज किया जाता है।

उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अप्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाता है एवं मृतक व्यक्ति के विरूद्व प्रस्तुत वाद स्वतः ही अबैट हो जाने से चलने योग्य न होने से वाद वादीनी खारीज किया जाता है। पर्चा डिकी जारी हो। निर्णय सुनाया गया।

3.3.21

उपखण्ड अधिकारी
नालेड़ा जिला बून्दी(राज0)

Scanned with CamScanner